न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : उमेद सिंह रतनू, आरएएस0

अपील प्र0सं0 99/2022

निरन्दपाल सिंह पुत्र श्री बलकार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 12 पी एस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांट

बनाम

. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार (राजस्व)
रायसिंहनगर दिनांक 17.02.2022

उपस्थित : 1. श्री तेजा सिंह संधू, अधिवक्ता, अपीलांट की ओर से।
2.. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

आदेश दिनांक :28.06.2023

अपीलांट द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट स्टेट के खिलाफ अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप में सारवान तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का 65 आरवी द्वारा दिनांक 24.01.2022 को रिपोर्ट पेश की थी कि चक 12 पी एस के मुरब्बा नम्बर 3 के कि.नं. 2 ता 9, 10, 11,12ता25 कुल 5.871 हैक्टयर राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त की है आराजी राज पर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त मुकदमा धारा 22 में दर्ज करके नोटिस जारी किया गया जिसमें यह अंकित किया गया कि दिनांक 01.02.2022 तक अपना अधिभोग हटा लेवें। दिनांक 17.02.2022 को अपीलांट हाजिर नहीं आया व अधीनस्थ न्यायायल ने अपीलांट को बिना समुचित अवसर दिये, बिना जवाब पेश किये आदेश पारित कर दिया। वादग्रस्त रकबा चक 12 पी एस मु.नं. 3 कि.नं. 2 ता 9,10, 11, 12 ता 25 कुल 5.871 हैक्टयर आराजी अपीलांट के पिछले 50 वर्षों से कब्जा में चली आ रही है जिसे आवंटन करवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आवेदन पत्र दे रखा है जो जेरकार है। जिसके संबंध में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन करने के लिए एसडीएम रायसिंहनगर के समक्ष कार्यवाही कर रखी है। संग केनाल अलॉटमेन्ट अधिनियम 1956 की धारा 3 के सबक्लॉज में नया अमेन्डमेन्ट 2004 में यह प्रावधान रखा है कि पुराना कब्जा है उसे नियमन किया जावेगा। प्रार्थी का प्रकरण 2008 से उपखण्ड अधिकारी के पेंडिंग है लेकिन अभी तक अलॉटमेन्ट नहीं किया गया है। अपीलांट 50 वर्षों से कब्जा में है। उक्त रकबा के अलावा कोई भी रकबा अपीलांट का नहीं है इसी पर जीवनयापन हो रहा है। अपीलांट का उक्त रकबे पर लगातार कब्जा चला आ रहा है। यदि अपीलांट को बेदखल कर दिया जाता है तो अपीलांट को नाकूत होने वाला नुकसान होगा। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थीन आदेश अपास्त किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि पटवारी हल्का 65 आरबी द्वारा दिनांक 24.01.2022 को रिपोर्ट पेश की कि चक 12 पी एस के मुरब्बा नम्बर 3 के कि.नं. 2 ता 9, 10, 11,12ता25 कुल 5.871 हैक्टयर राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त की है आराजी राज पर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त मुकदमा धारा 22 में दर्ज करके नोटिस जारी किया गया जिसमें यह अंकित किया गया कि दिनांक 01.02.2022 तक अपना अधिभोग हटा लेवें। दिनांक 17.02.2022 को अपीलांट हाजिर नहीं आया व अधीनस्थ न्यायायल ने अपीलांट को बिना समुचित अवसर दिये, बिना जवाब पेश किये आदेश पारित कर दिया। वादग्रस्त रकबा चक 12 पी एस मु.नं. 3 कि.नं. 2 ता 9,10, 11, 12 ता 25 कुल 5.871 हैक्टयर आराजी अपीलांट के पिछले 50 वर्षों से कब्जा में चली आ रही है जिसे आवंटन करवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आवेदन पत्र दे रखा है जो जेरकार है। जिसके संबंध में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन करने के लिए एसडीएम रायसिंहनगर के समक्ष कार्यवाही कर रखी है। गंग केनाल अलॉटमेन्ट अधिनियम 1956 की धारा 3 के सबक्लॉज में नया अमेन्डमेन्ट 2004 में यह प्रावधान रखा है कि पुराना कब्जा है उसे नियमन किया जावेगा। प्रार्थी का प्रकरण 2008 से उपखण्ड अधिकारी के पेंडिग है लेकिन अभी तक अलॉटमेन्ट नहीं किया गया है। अपीलांट 50 वर्षों से कब्जा में है। उक्त रकबा के अलावा कोई भी रकबा अपीलांट का नहीं है इसी पर जीवनयापन हो रहा है। अपीलांट का उक्त रकबे पर लगातार कब्जा चला आ रहा है। यदि अपीलांट को बेदखल कर दिया जाता है तो अपीलांट को नापूरा होंने वाला नुकसान होगा। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांटस के अधिवक्ता की बहस का खण्डन करते हुए अपनी बहस में कहा है कि अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् पारित किया गया है। अपीलांटस अतिक्रमी है। अपीलांटा द्वारा आवंटन के संबंध में कोई सारवान दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः अपील अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत् रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि

अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से चक 12 पी एस के मु0नं. 3 के कि.नं. 2 ता 9, 10, 11, 12 ता 25 कुल 5.871 हैक्टयर भूमि पर अतिचार किया हुआ है। पटवारी एव भू. अ. नि. रिपोर्ट दिनांक 24.01.2022 के अनुसार चक 12 पी एस के मु0नं. 3 के कि.नं. 2 ता 9, 10, 11, 12 ता25 कुल 5.871 हैक्टयर भूमि रेकार्ड में रकबा राज हैं जिस पर अपीलांटस द्वारा नाजायज काश्त किया हुआ है। तहसीलदार रायसिंहनगर के आदेश कमांक 139 दिनांक 04.02.2022 की पालना में दिनांक 05.04.2022 के अनुसार कुर्क शुदा फसल की निलामी मौके पर की गई तथा अधिकतम बोलीदाता देवेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह साकिन 12 पी.एस के नाम छोड़ी गई। निलामी राशि जमा होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निलामी स्वीकृति जारी की गई। पन्द्रह हजार रू0

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

[Type text]

Scanned with CamScanner

जरिये चालान दिनांक 21.04.2022 को जमा करवा दी गई। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 22.04.2022 के अनुसार अपीलांट निरेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री बलकार सिंह जाति जटसिख निवासी 12 पीएस तहसील रायसिंहनगर को चक 12 पी एस के मु0 नं0 3 के कि.नं. 2 ता 9, 10, 11,12ता25 कुल 5.871 हैक्टयर भूमि से बेदखल कर दिया गया है।

अपीलांट ने अपनी अपील में पैरा सं. 4 में अभिकथन किया है कि प्रश्नगत रकबा पर अपीलांट 50 वर्षो से काबिज चला आ रहा है परंतु अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट को अलॉट हुई हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट से यह पूर्णरुप से स्पष्ट है कि अपीलाधीन भूमि राजस्व रेकार्ड में आराजी राज दर्ज है और अपीलांट अतिक्रमी है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् है। अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को रेकार्ड के साथ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 28.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमेद सिंह रतन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner